इकाई 10 इमेनुअल कांट

इकाई की रूपरेखा

10.1 प्रस्तावना

10.2 प्रबोधन का प्रतिनिधि (Representative of the Enlightenment)

10.3 कांट की 'आधिभौतिकवाद में कोपरनिकसवादी क्रांति'

10.4 मानव ज्ञान का अनुभवातीत-आदर्शवादी दृष्टिकोण

10.5 निरपेक्ष आदेश के नियम (Formulations of the Categorical Imperative)

10.6 औचित्य/अधिकार अथवा न्याय का सार्वभौम सिद्धांत (The Universal Law of Right (Recht) or Justice)

10.7 संपत्ति, सामाजिक समझौता तथा राज्य

10.8 चिरस्थायी शांति (Perpetual Peace)

10.9 समाहार

10.10 सारांश

10.11 अभ्यास

10.1 प्रस्तावना

इमेनुअल कांट 18वीं शताब्दी (1724-1804) के उत्तरार्द्ध का जर्मन दार्शनिक था। वह प्रशिया (जर्मनी) में कोनिग्सबर्ग विश्वविद्यालय में दर्शनशास्त्र का प्रोफेसर था। व्ह् रूसो, ह्यूम और एडम स्मिथ का समकालीन था। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय उसकी आयु 65 वर्ष की थी। उसने गणतांत्रिक उद्देश्यों को लेकर फ्रांसीसी क्रांति की सराहना की, लेकिन अनैतिक साधनों के उपयोग के लिए इसकी आलोचना भी की।

कांट का मानना था कोई राजनीतिक-वैधानिक व्यवस्था केवल तभी न्यायपूर्ण हो सकती है यदि यह नैतिकता को सम्मान देती हो। उसने लिखा है :

> एक सच्ची राजनीतिक व्यवस्था तब तक....एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकती, जब तक यह पहले नैतिकता को सम्मान नहीं देती....राजनीति को सभी के लिए सदैव उचित के आगे घुटने टेकने चाहिए, यद्यपि खुद भी राजनीति, धीरे-धीरे स्थायी रूप से आभामंडित हो सकती है।

इस प्रकार, अपने नैतिक और राजनीतिक दर्शन में कांट का मुख्य संबंध नैतिकता और न्याय अथवा उपयुक्तता (जर्मन भाषा में रेख्त (Recht) जोकि व्यक्तिगत अधिकारों की अवधारणा से भिन्न है) के आवश्यक सार्वभौम और आलोचनात्मक-व्यावहारिक सिद्धांतों से है। इन्हें राष्ट्रीय और

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समाज के राजनीतिक संगठनों के औचित्य या आलोचना और पुनर्गठन के लिए प्रामाणिक मानक माना जाएगा।

कांट का मुख्य योगदान शुद्ध तर्कबुद्धि (Pure Reason) और ज्ञानमीमांसा (Epistemology) की उसकी आलोचना है। लेकिन कांट का राजनीतिक दर्शन भी काफी समृद्ध और नूतन है। उसका राजनीतिक सिद्धांत प्रत्येक व्यक्ति से साध्य के रूप में व्यवहार करने की आवश्यकता पर बल देता है। उसका प्रसिद्ध कथन था - 'अपने अंदर के मनुष्य और प्रत्येक दूसरे के अंदर के मनुष्य की मानवता से हमेशा एक साधन के साथ-साथ साध्य के समान व्यवहार करो, न कि साधन के समान।' इस तरह उसने व्यक्ति के अधिकारों, कानून के शासन, एक अच्छी न्यायिक प्रक्रिया और शैक्षिक अवसर पर बल दिया गया जिनसे मानव ज्ञान और प्रबुद्धता में वृद्धि होती है।

10.2 प्रबोधन का प्रतिनिधि (Representative of the Enlightenment)

नैतिक और राजनीतिक विचारों के लंबे इतिहास में कांट का स्थान तय करने की शुरुआत हम यह ध्यान रखते हुए कर सकते हैं कि जहाँ एक ओर उसका 'आलोचनात्मक दर्शन' (critical philosophy) यूरोपीय प्रबोधन का चरम था, तो दूसरी ओर यह राजनीति के नैतिकता से अलग होने की स्पष्ट शुरुआत भी थी। अर्थात् दैवी इच्छा, अथवा प्रकृति के कानून पर मानव विवेक की वरीयता कायम करने में प्रबोधन का समर्थन करके कांट ने उस सर्वोच्च सिद्धांत को लिया जिसमें एक नैतिक व्यक्ति के रूप में प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता, स्वायत्तता और समानता की बात कही गई है। और कांट ने इसे नैतिक कानून बताया (जिसकी परीक्षा कांट के परमादेश के आधार पर होती है)। नैतिक कानून अथवा नैतिक-व्यावहारिक ज्ञान के परमादेश को मानव-ज्ञान का सर्वोच्च सिद्धांत मानते हुए कांट ने अपने पूर्ववर्ती और समकालीन अनुभववादियों तथा व्यवहारवादियों से अपने आपको दूर कर लिया था।

कांट ने स्वीकार किया कि वह एक प्रबोधन विचारक था। वह अपने गंभीर लेखन कार्य को उस समय की प्रबोधन की प्रक्रिया में योगदान मानता था। अपने 'व्हाट इज़ एनलाइटनमेंट?' (प्रबोधन क्या है?) (1784) शीर्षक आलेख में कांट ने इसे बौद्धिक अपरिपक्वता और मानसिक सुस्ती की अवस्था से ज्ञान के युग में प्रवेश की मानवता की साहसिक यात्रा के रूप में परिभाषित किया। उसने लिखा :

> प्रबोधन. मनष्य के स्वयं के कारण उत्पन्न अपरिपक्वता का त्याग करना है। ऐसी अपरिपक्वता बुद्धि की कमी के कारण नहीं होती, बल्कि किसी दूसरे के मार्गदर्शन के बिना (जैसे कि धार्मिक पुस्तक, पादरी या निरंकुश शासक) अपनी स्वयं की बुद्धि के उपयोग की प्रतिबद्धता अथवा साहस में कमी के कारण होती है। Sapere Aude! अपनी स्वयं की बुद्धि के उपयोग का साहस रखो। यही प्रबोधन का संदेश है।

कांट ज्ञान की सार्वभौम, आवश्यक, औपचारिक तथा अनुभव-परिस्थितियों अथवा ढाँचे के बारे में आम लोगों के आत्म-जागरण के काम में योगदान करने के प्रति आशावान था। उसकी यह धारणा इस दुनिया में व्यावहारिक मनुष्यों के रूप में उनके दैनिक विचारों और कार्यों में प्रामाणिक

विचारों के रूप में निश्चित तौर पर मौजूद है। कांट ने अनुभव किया कि इस नवीन आत्म-जागरण 'आधिभौतिकवाद में क्रांति' (Copernican Revolution **in** Metaphysics) आवश्यक है। उसका विश्वास था कि ऐसी दार्शनिक क्रांति में उसके गंभीर लेखन का उपयोग होगा।

10.3 कांट की 'आधिभौतिकवाद में कोपरनिकसवादी क्रांति'

कांट ने अपने पाठकों से दर्शन में अपनी कोपरनिकसवाद जैसी क्रांति का प्रस्ताव निम्नलिखित शब्दों में किया :

> अब तक यह माना गया है कि हमारा ज्ञान वस्तुओं के अनुरूप होना चाहिए। लेकिन इस धारणा पर सिद्धांतों के द्वारा कुछ पूर्व-जनित वस्तुओं के बारे में ज्ञान का विस्तार करने के सभी प्रयास विफल रहे हैं। इसलिए हमें यह प्रयास करना चाहिए कि यदि हम यह मानें कि वस्तुओं को ज्ञान के अनुरूप होना चाहिए तो क्या हम आधिभौतिकवाद के कामों में अधिक सफल नहीं हो सकते।
>
> इस समझ के सिद्धांत प्रकृति से प्राप्त नहीं होते, बल्कि प्रकृति से जुड़े होते हैं।

खगोल-विज्ञान अथवा ब्रह्मांड विज्ञान में पूर्ववर्ती कोपरनिकस क्रांति ने सूर्य-केंद्रित ब्रह्मांड की पृथ्वी-केंद्रित धारणा की जगह ले ली थी। कांट की दर्शनशास्त्र में कोपरनिकस जैसी क्रांति ने मनुष्य को ज्ञान और कर्म की दुनिया में केंद्र-बिंदु बिना दिया। कांट की नज़र में मनुष्य, प्राकृतिक दुनिया के 'बिंबों' को न तो महज निष्क्रिय ढंग से ग्रहण करता है और न ही वह नैतिक जगत में महज निष्क्रिय कर्ता है बल्कि वह इनमें एक सक्रिय अथवा रचनात्मक एजेंट है।

कांट की प्रबोधन के तर्कवादी और अनुभववादी विचारकों के साथ इस बात पर सहमति थी कि चर्च, निरंकुश शासकों, परंपरा अथवा रीति की अधिसत्ता की बजाए "मानव स्वभाव" अथवा "मानव तर्क" को मनुष्य के ज्ञान तथा नैतिकता के केंद्र में रखा जाए अथवा उन्हें साधन माना जाए। लेकिन कांट की राय थी कि अनुभववादियों (जैसे लॉक और ह्यूम) ने मानव स्वभाव को इंद्रियों, अंतर्ध्वनि, भावनाओं, वरीयताओं तक सीमित कर दिया था जबकि तर्कवादियों (जैसे देसकार्तेस और लाइबनिज़) ने मानव तर्क को एक अहंवादी, अणुसमान अथवा अंतर्ध्वनि वाली वस्तु बनाकर उसे सीमित कर दिया। मानव तर्क और न्याय तथा नैतिकता के सार्वभौमिक, औपचारिक सिद्धांतों के बारे में कांट के अनुभवातीत-आदर्शवादी दृष्टिकोण से इन बंधनों को दूर किया जा सकेगा।

10.4 मानव ज्ञान का अनुभवातीत-आदर्शवादी दृष्टिकोण (Transcendental-Idealist View of Human Reason)

कांट का "अनुभवातीत-आदर्शवाद" इस कारण "आदर्शवादी" है कि यह विचार-निर्मित आदर्श-आधारित (न कि यथार्थवादी) और आलोचनात्मक-पुनःनिर्मित (न कि परंपरावादी) है। उसके

विचारों की ये विशेषताएँ उसकी कई पुस्तकों के नामों में प्रकट होती हैं। उदाहरण के लिए "आइडियाज़ टूवर्ड्स' ए यूनिवर्सल हिस्ट्री फ्रॉम कॉस्मोपोलिटन प्वाइंट ऑफ व्यू" (1784)। अनुभवातीत विचारों अथवा सिद्धांतों से उसका अर्थ आवश्यक, सार्वभौम, औपचारिक, अनुभव-जनित परिस्थितियों अथवा किसी भी ज्ञान की संभावना के ढाँचे या व्यावहारिक लोगों द्वारा किए जाने वाले नैतिक कार्य से है। वह कहता है कि एक निश्चित व्यावहारिक कर्ता (एजेंट) के रूप में मनुष्य में न केवल इन्द्रिय और बुद्धि की योग्यता और क्षमता होती है बल्कि सैद्धांतिक तथा नैतिक-व्यावहारिक ज्ञान की शक्ति भी होती है। वह लिखता है :

> मनुष्य अब अपने अंदर एक ऐसी क्षमता को देखता है जिसके द्वारा जहाँ तक उसके साध्य से प्रभावित होने की बात है, वह अपने को अन्य सभी वस्तुओं से अलग समझता है यहाँ तक कि अपने आप से भी, और वह क्षमता है तर्क। यह स्वयं में एक निर्मल आत्म-क्रिया है तथा समझ से भी ऊपर है...विचारों के संदर्भ में, तर्क इतनी निर्मल तात्कालिकता है कि यह समझदारी से निकली किसी भी चीज़ से कहीं बहुत आगे है.....

मानव-बुद्धि की क्षमता में उसकी अपनी औपचारिक अनुभव-जनित श्रेणियाँ अथवा धारणाएँ हैं (उदाहरण के लिए स्थान, काल और कार्य-संबंध) जिन्हें यह हमारे प्रत्यक्ष अनुभवों पर लागू करती है ताकि उन्हें समझने योग्य बनाया जा सके। इसी प्रकार, "व्यावहारिक ज्ञान" या "तार्किक इच्छा" की क्षमता में हमारे विचार और कार्य के नैतिक तथा न्यायिक अथवा औचित्य के "कृत्रिम अनुभव-जनित" सिद्धांत या नियम होते हैं। वह लिखता है :

> कर्तव्यों के सिद्धांत में मनुष्य का प्रतिनिधित्व स्वतंत्रता के लिए उसकी क्षमता के गुण दृष्टिकोण पर हो सकता है और होना चाहिए, जो प्राकृतिक मानदंडों से अलग रहते हुए और बड़ी सरलता से उसकी मानवता, जोकि उसका व्यक्तित्व मानी जाती है, के दृष्टिकोण से पूरी तरह से अति-संवेदनशील है।

जैसा कि उपर्युक्त पंक्तियों में सुझाव दिया गया है, एक नैतिक कर्ता के रूप में मनुष्य की स्वतंत्रता अथवा स्वायत्तता (और समानता) के "अनुभवातीत विचार" कांट के नैतिक कर्तव्यों या बंधनों के सिद्धांत का केंद्रीय विषय है। कांट के ये विचार नैतिक नियम में निहित हैं, जो परंपरा से स्वर्ण नियम माना जाता है। इस नियम के अनुसार हमें दूसरों के साथ वैसा ही करना चाहिए जैसा कि हम अपने लिए दूसरों से उम्मीद करते हैं।

कांट ने यह भी अनुभव किया कि इच्छा द्वारा समुदाय के प्रत्येक सदस्य की सच्ची इच्छा का प्रतिनिधित्व किए जाने के कारण रूसो की सामान्य इच्छा की अवधारणा में नैतिक विधि का मूल विचार निहित है। वास्तव में, कांट के नैतिक कर्ता के रूप में मनुष्यों की स्वायत्तता के प्रमुख विचार पर रूसो के मनुष्यों की स्व-शासन की क्षमता के विचार का गहरा प्रभाव पड़ा।

कांट के अनुसार, नैतिक कानून का मूल विचार इस प्रकार है - कार्य के सिद्धांत की सार्वभौमिकता ही इसे नैतिक बनाती है। यह सार्वभौमिकता नैतिक कर्ता के रूप में सभी मनुष्यों

की स्वतंत्रता या स्वायत्तता और समानता के मानक विचार पर लागू होती है। नैतिक कर्ता की स्वायत्तता से कांट का अर्थ बाहरी बाध्यता और आंतरिक रूप से उत्साह, उत्कंठा और इच्छाओं आदि के निर्धारण द्वारा स्त्री और पुरुष की स्वतंत्रता से है। नैतिक कर्ता की स्वायत्तता के विचार से अभिप्राय है - अन्य नैतिक कर्ताओं की स्वायत्तता के प्रति मनुष्य की पूर्वजनित नैतिक बाध्यता का विचार। यह, कांट के नैतिक और राजनैतिक दर्शन का एक सुस्पष्ट पक्ष है।

10.5 निरपेक्ष आदेश के नियम (Formulation of the Categorical Imperative)

कांट सभी नैतिक कर्ताओं की स्वायत्तता या स्वतंत्रता और समानता के जिस 'पूर्वजनित, औपचारिक मानक विचार की बात करता है वह शुद्ध व्यावहारिक ज्ञान का "निरपेक्ष आदेश" है। कांट के अनुसार, हमारे कार्य के सिद्धांतों के निर्धारण अथवा उनकी नैतिकता जाँचने के लिए उसका अर्थात् निरपेक्ष आदेश का उपयोग किया जाना चाहिए। उसने निरपेक्ष आदेश के कई नियम प्रदान किए हैं। उसके विचार में, ये नियम अपने किसी भी सूत्र में शुद्ध व्यावहारिक ज्ञान अथवा तार्किक इच्छा के सर्वोच्च सिद्धांत हैं। उसके तीन प्रमुख नियम इस प्रकार हैं :

पहला नियम (सार्वभौम विधि सूत्र - universal Law Formulation) नैतिक कर्ता के विचार-बिंदु से बना है। इसमें कहा गया है :

> केवल उस सिद्धांत पर कार्य करो जिसके लिए आप इच्छा कर सकते हैं कि वह एक सार्वभौम कानून बनना चाहिए।

प्रथम सूत्र का एक प्रकार (जिसे प्राकृतिक नियम का सार्वभौम कानून कहा जा सकता है) निम्नलिखित है :

> ऐसे कार्य करो जैसे कि आपके कार्य का सिद्धांत आपकी इच्छा द्वारा सार्वभौम प्राकृतिक कानून बनने वाला है।

द्वितीय सूत्र (स्वयं-साध्य नियम - End-in-Itself Formulation) उन लोगों के दृष्टिकोण से बनता है जो हमारे कार्यों (अथवा, दूसरे शब्दों में वे जो हमारे कार्यों के प्राप्तकर्ता हैं) से प्रभावित हैं। इसमें कहा गया है :

> इसलिए ऐसे कार्य करो कि आप अपने स्वयं के या किसी अन्य व्यक्ति के भीतर की मानवता से सदैव साध्य के रूप में व्यवहार करें न कि केवल साधन के रूप में।

तृतीय नियम (साध्य का शासन नियम - Kingdom-of-Ends Formulation) कर्ता और उनके प्राप्तकर्ताओं को स्व-विधायन करने वाले नैतिक अभिनेताओं के नैतिक समुदाय की स्थापना करने वालों के रूप में देखता है। इसमें कहा गया है :

> हमारे अपने कानून निर्माण से निकलने वाले सिद्धांतों को साध्यों के संभावित क्षेत्र का प्रकृति के अधिकार क्षेत्र के साथ सामंजस्य बैठाना चाहिए।

कांट कहता है कि व्यावहारिक ज्ञान का निरपेक्ष आदेश इसलिए "निरपेक्ष" है कि यह इस या उस नैतिक कर्ता अथवा सांस्कृतिक समुदाय की किसी विशेष इच्छा या झुकाव के प्रति काल्पनिक या सशर्त नहीं है। कांट के लिए नैतिकता हमारे या दूसरों के लिए भलाई उत्पन्न करना नहीं है, बल्कि एक पूर्ण अथवा परम कर्तव्य के रूप में योग्य कर्तव्य है। यह कर्तव्य, हमारे व्यावहारिक ज्ञान या तर्कशील इच्छा के पूर्व-धारणात्मक या अनुभव-जनित (विरासत में या पहले से दिए गए) ढाँचे से उत्पन्न होता है। दूसरे शब्दों में, नैतिक रूप से कार्य करने का अर्थ है - कर्तव्य भावना से कार्य करना। अर्थात् नैतिक कानून अथवा निरपेक्ष आदेश के प्रति सम्मान स्वरूप किया गया काम, न कि स्वहित, माध्यमक तर्कशीलता (जैसा कि हॉब्स ने कहा) अथवा निजी संपत्ति के प्राकृतिक अधिकार के संरक्षण (जैसा कि लॉक ने कहा) को ध्यान में रखकर किया गया काम। इस संदर्भ में कांट का नैतिक और राजनीतिक दर्शन हॉब्स और लॉक से काफी भिन्न है।

10.6 औचित्य/अधिकार अथवा न्याय का सार्वभौम सिद्धांत (The Universal Law of Right (Recht) or Justice)

कांट के अनुसार, नैतिक-व्यावहारिक ज्ञान के सर्वोच्च सिद्धांत के रूप में निरपेक्ष आदेश न केवल विचार, दृढ़ विश्वास, प्रेरणा आदि के हमारे "आंतरिक संसार" के लिए वैध है, बल्कि अन्य मनुष्यों के साथ हमारे अंतर्संबंधों के "बाहरी या विदेशी संसार" पर भी लागू होता है। लेकिन, अन्य मनुष्यों के साथ हमारे बाहरी संबंधों का संसार, कार्य की हमारी स्वतंत्रता पर देश और काल के दबाव की अनदेखी न करने का संस्कार है। उदाहरण के लिए, हम सभी एक ही समय पर एक ही स्थान पर नहीं हो सकते अथवा भूमि के एक ही टुकड़े पर नहीं रह सकते। इस प्रकार, हमारे बाहरी कार्यक्षेत्र पर लागू होने वाले नैतिक-व्यावहारिक ज्ञान के निरपेक्ष आदेश में मेरी बाहरी कार्य की स्वतंत्रता को बाकी सभी की बाहरी कार्य की स्वतंत्रता के अनुरूप बनाने के लिए औचित्य/अधिकार (Recht) अथवा न्याय का सिद्धांत निहित है। कांट लिखता है :

> अधिकार....वे समग्र परिस्थितियाँ हैं जिनके तहत स्वतंत्रता के सार्वभौम कानून के अंतर्गत एक व्यक्ति की इच्छा को दूसरे व्यक्ति की इच्छा से मिलाया जा सकता है।

वह औचित्य अथवा न्याय के सार्वभौम सिद्धांत का निरूपण इस प्रकार करता है :

> प्रत्येक कार्य तभी उचित होता है जब वह अपने स्वयं में अथवा अपने सिद्धांत में ऐसा हो कि सार्वभौम कानून के अनुसार प्रत्येक की इच्छा की स्वतंत्रता और सभी की स्वतंत्रता का सह-अस्तित्व हो।

उसने इस सिद्धांत का विकल्प भी प्रस्तुत किया है :

> बाहरी रूप से वास्तव में इस प्रकार कार्य करना चाहिए कि सार्वभौम सिद्धांत के अनुसार आपकी इच्छा का स्वतंत्र उपयोग सभी के अनुरूप हो।

औचित्य या न्याय का यह सार्वभौम सिद्धांत एक न्यायिक नियम है। यह नैतिक नियम से भिन्न है (जो विचार, प्रेरणा आदि के हमारे आंतरिक विश्व को नियंत्रित करता है) और निरपेक्ष आदेश के अनुसार इसे लागू करने के लिए बाध्यता के उपयोग को वैधानिकता प्रदान करता है। उसने लिखा है :

> मेरी बाहरी और न्यायोचित स्वतंत्रता की परिभाषा यह होनी चाहिए कि यह एक वारंट है जिसमें केवल उन्हीं बाहरी कानूनों को माना जाए जिन्हें मेरी सहमति है, अन्य बाहरी कानूनों को नहीं। इसी प्रकार, राज्य में बाहरी और उचित समानता नागरिकों के बीच वे संबंध हैं जिनमें कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे को तब तक कानूनी बाध्यता में नहीं रख सकता जब तक कि वह ऐसे कानून को स्वयं स्वीकार नहीं करता जिसमें इस बात की आवश्यकता होती है कि दूसरा व्यक्ति भी उसे उसी प्रकार की बाध्यता में रख सकता है।

कांट तो यहाँ तक कहता है कि न्याय या औचित्य का उसका सार्वभौम सिद्धांत एक संयुक्त सिद्धांत है जो दूसरों की स्वतंत्रता के साथ "सार्वभौम आपसी बाध्यता" के उपाय को उचित मानता है।

10.7 संपत्ति, सामाजिक समझौता तथा राज्य

बाहरी स्वतंत्रता के सार्वभौम कानून अथवा सिद्धांत के रूप में औचित्य/अधिकार अथवा न्याय मनुष्यों को उनके बाहरी और एक-दूसरे के साथ स्थानिक संबंधों की स्वतंत्रता को नैतिकता योग्य बनाते हैं और उन्हें (उचित अथवा न्यायपूर्ण बाध्यकारी साधनों द्वारा भी) नियंत्रित करते हैं। कांट के अनुसार यह सिद्धांत या कानून, व्यावहारिक ज्ञान के "अनुज्ञात्मक नियम" (permissive law) या "कानूनी अभिग्रहण" (juridical postulate) प्रदान करता है अथवा उनसे जुड़ा रहता है जो दुनिया की किसी भी वस्तु में प्रत्येक मनुष्य को (औचित्य अथवा न्याय के सार्वभौम कानून द्वारा) संपत्ति का अधिकार प्रदान करता है।

कांट के विचार में विश्व की सभी गैर-मानव वस्तुओं पर पूरी मानवता का अधिकार है। उन पर स्वामित्व अथवा उपयोग की हमारी स्वतंत्रता, व्यावहारिक तर्क के पूर्व-जनित, औपचारिक, औचित्य या न्याय के सार्वभौम सिद्धांत के संदर्भ में सीमित हो सकती है और सभी सकारात्मक, कानूनी नियम उसके अनुकूल होने चाहिए। उदाहरण के लिए कोई भी व्यक्ति जो सबसे पहले भूमि के किसी टुकड़े पर रहता है अथवा उसका स्वामी है, उसे अवश्य ही यह मानना चाहिए कि वह व्यावहारिक ज्ञान के औपचारिक पूर्व-जनित सिद्धांत के अनुरूप मानवता की "बाहरी स्वतंत्रता" के हिस्से के रूप में ऐसा कर रहा है। भूमि या दुनिया की किसी भी वस्तु पर सबसे पहले नियंत्रण से बाकी सभी की कार्य की स्वतंत्रता प्रभावित होती है, इसलिए इसका पूर्ण नैतिक औचित्य

एकतरफा कार्य पर निर्भर नहीं रह सकता। इसलिए, कांट के अनुसार संपत्ति के मूल विनियोजन की कोई भी नैतिक वैधता तब तक अस्थायी रहती है जब तक कि उससे प्रभावित सभी लोगों के सार्वभौम समझौते द्वारा इसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता। संपत्ति के मूल विनियोजन द्वारा प्रभावित सभी लोगों का केवल ऐसा सार्वभौम समझौता ही औचित्य अथवा कानून के सार्वभौम सिद्धांत की आवश्यकता पूरी कर सकता है। सार्वभौम औचित्य अथवा न्याय की इस आदर्श आवश्यकता की वास्तविकता के कारण ही कांट ने वैश्विक स्तर पर राज्यों के "प्रशांत संघ" (Pacific Union) और राज्य के सामाजिक समझौते की अपनी अवधारणा प्रस्तुत की।

वह राज्य को "औचित्य के नियम के अंतर्गत मनुष्य की विविधता के संघ" के रूप में परिभाषित करता है। सामाजिक समझौते का तर्कबुद्ध-प्रत्यय अर्थात् ज्ञान के विचार (Idea of reason) के रूप में वर्णन करते हुए (न कि एक घटना के रूप में) अर्थात् ज्ञान के निरपेक्ष आदेश के समान प्रस्तुत करते हुए कांट लिखता है :

> लोग जिस कार्य द्वारा स्वयं को एक राज्य के रूप में गठित करते हैं, वह मूल समझौता है। उचित ढंग से कहें तो मूल समझौता केवल इसी कार्य का विचार है, और केवल इसी रूप में हम राज्य की वैधता की बात सोच सकते हैं। मूल समझौते के अनुसार सभी लोग अपनी बाहरी स्वतंत्रता इसलिए त्याग देते हैं कि वे राष्ट्रमंडल के सदस्य अर्थात् एक राज्य के रूप में एकत्रित लोगों के रूप में इसे तुरंत ही फिर हासिल कर लेते हैं।
>
> वास्तव में सामाजिक समझौता केवल ज्ञान का एक विचार है जिसकी निस्संदेह व्यावहारिक वास्तविकता है, क्योंकि इससे प्रत्येक विधायक ऐसे कानून बना सकता है कि मानो वे कानून पूरे राष्ट्र की संयुक्त इच्छा से बनाए गए हों और प्रत्येक नागरिक जो नागरिकता का दावा कर सकता है, से ऐसे व्यवहार करे जैसे कि वह सामान्य इच्छा का पालन कर रहा है।

कांट ने सामाजिक समझौतें के जो कारण या उद्देश्य बताए हैं वे हॉब्स और लॉक द्वारा दिए गए कारणों से भिन्न हैं। इन दोनों ने जो उद्देश्य बताए हैं वे व्यावहारिक स्वहित और हिंसक मृत्यु का भय (हॉब्स) अथवा स्व-संरक्षण का प्राकृतिक अधिकार और संपत्ति के अधिकार की सुरक्षा (लॉक) हैं। कांट के लिए समझौते का उद्देश्य संपत्ति का व्यावहारिक अधिकार प्राप्त करना है, जहाँ समझौता-कर्ता नैतिक औचित्य के साथ दूसरों को इसके उपयोग से अलग करते हैं, जिस पर उनका (अर्थात् समझौताकर्ताओं का) प्राकृतिक अवस्था में केवल अस्थायी अधिकार था। वह लिखता है :

> प्राकृतिक अवस्था में निजी अधिकार से अब सार्वजनिक अधिकार की उपधारणा उत्पन्न होती है, दूसरों के साथ सह-अस्तित्व की न बच सकने वाली अवस्था के संबंध में आपको प्राकृतिक अवस्था से न्यायिक अवस्था अर्थात् वितरणात्मक न्याय में परिवर्तित होना चाहिए।

हॉब्स और लॉक से भिन्न कांट, संपत्ति को नागरिक राज्य से अलग न होने वाली संस्था मानता है। उसने लिखा है :

> लेकिन, विधायी, सार्वभौम और सही संयुक्त इच्छा की अवस्था नागरिक राज्य है। इसलिए, कोई भी बाहरी वस्तु, मौलिक रूप से केवल नागरिक राज्य के विचार के साथ मेल द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है अर्थात् इसके संदर्भ और इसकी प्राप्ति से ही, हालाँकि इसकी वास्तविकता से पहले (क्योंकि यह प्राप्ति केवल नागरिक राज्य में ही हो सकती है)।

हॉब्स के अनुसार, संपत्ति के अधिकार संप्रभु राज्य द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं और उसे संपत्ति से स्वतंत्र माना जाता है। लॉक के अनुसार, प्राकृतिक अवस्था में संपत्ति का अधिकार संपूर्ण है। वे राज्य से स्वतंत्र हैं, जिसे केवल इन "प्राकृतिक अधिकारों" की गारंटी प्रदान करनी है और उन्हें सुरक्षित रखना है। कांट के अनुसार, कोई भी राज्य संपत्ति से स्वतंत्र नहीं है, और इसी तरह संपत्ति का भी कोई संपूर्ण अधिकार नहीं हो सकता। कांट कहता है कि संपत्ति का हमारा अधिकार तभी वैध या उचित हो सकता है जब वह औचित्य अथवा न्याय के सार्वभौम सिद्धांत के अनुरूप हो। इसलिए हमारे संपत्ति के अधिकार को जब तक नागरिक राज्य और दुनिया के राष्ट्रों या राज्यों के शांतिपूर्ण परिसंघ, दोनों ही उनका अनुमोदन नहीं कर देते तब तक ये अधिकार अस्थायी रहेंगे।

10.8 चिरस्थायी शांति (perpetual Peace)

कांट के राजनीतिक दर्शन की एक महत्वपूर्ण विशेषता उसका विश्व-बंधुत्व (Cosmopolitanism), विश्ववाद (Globalism) अथवा अंतर्राष्ट्रीयवाद (Internationalism) है। वह घरेलू राजनीति को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से अलग नहीं करता। कांट के राजनीति दर्शन की सर्वदेशीय विशेषता को मानते हुए वुल्फगेंग कर्स्टिंग (Wolfgang Kersting) ने लिखा है :

> हॉब्स, लॉक और रूसो अंतर्वैयक्तिक प्राकृतिक अवस्था पर नियंत्रण से संतुष्ट थे और उन्होंने राजनीतिक दर्शन के अधिकार को राज्य की सीमाओं पर समाप्त होने की अनुमति दी, जबकि कांट राजनीतिक दर्शन को राज्य की सीमाओं से बाहर ले गया और विश्व शांति की उचित व्यवस्था में "उच्चतम राजनीतिक भलाई" (highest political good).....को इसका सबसे बड़ा उद्देश्य माना।

कांट का विश्वास है कि दुनिया के राष्ट्रों/राज्यों में स्थायी शांति नामक इस "उच्चतम राजनीतिक भलाई" को प्राप्त करने के लिए हमें न केवल राष्ट्रों अथवा राज्यों में व्यक्तिगत तौर पर लोगों के बीच "प्राकृतिक परिस्थिति" (अथवा प्राकृतिक अवस्था) पर नियंत्रण करना होगा, बल्कि राज्यों के बीच अराजकता अथवा युद्धोन्मुखता की प्राकृतिक परिस्थिति को भी नियंत्रित करना होगा। वास्तव में उसने प्राकृतिक परिस्थिति के इन दो स्तरों को आपस में संबद्ध भी माना।

कांट का मानना था कि औचित्य अथवा न्याय के सार्वभौम सिद्धांत को न केवल घरेलू राजनीति, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को भी अपने नियंत्रण में करना होगा। उसने लिखा है:

> हमारे अंदर का नैतिक-व्यावहारिक ज्ञान, निम्नलिखित अविरोधनीय निषेधाधिकार की उद्घोषणा करता है - प्राकृतिक अवस्था में न तो व्यक्तिगत तौर पर मनुष्यों के बीच युद्ध होना चाहिए न ही अलग-अलग राज्यों के बीच, जोकि हालाँकि आंतरिक रूपसे कानून द्वारा शासित होते हैं, लेकिन एक-दूसरे के साथ बाहरी संबंधों में वे अभी भी कानूनहीनता की स्थिति में रहते हैं। युद्ध वह मार्ग नहीं है जिस पर कोई भी अपने अधिकार प्राप्त कर सके....। वास्तव में यह कहा जा सकता है कि सार्वभौम और स्थायी शांति स्थापित करने का यह कार्य, शुद्ध ज्ञान की सीमाओं के अंदर औचित्य के सिद्धांत का केवल हिस्सा नहीं है, बल्कि इसका पूर्ण अंतिम उद्देश्य भी है।

कांट ने विश्व राजनीति को सरकारों के अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक संबंधों तक सीमित करने की बात अस्वीकार कर दी। उसने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को मानवता के वैश्विक समुदाय के रूप में पुनर्परिभाषित करने का आह्वान किया।

कांट ने स्वीकार किया कि घरेलू कानूनों और राष्ट्रों के कानून में अंतर है। पहले से भिन्न, दूसरे का संबंध, एक राज्य के दूसरे राज्य से संबंध और "एक राज्य के लोगों के दूसरे राज्य के लोगों से संबंध तथा एक पूरे राज्य में लोगों के आपसी संबंध" - दोनों से है।

कांट के अनुसार, जैसा कि हमने ऊपर भी देखा, मनुष्यों को पशुओं की दुनिया से जो चीज़ ऊपर उठाती है वह मनुष्य की नैतिक-व्यावहारिक ज्ञान के अनुसार कार्य करने की क्षमता है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति "का केवल दूसरों के साध्य अथवा यहाँ तक कि अपने स्वयं के साध्य के साधन के रूप में मूल्यांकन नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे स्वयं में साध्य के रूप में पुरस्कृत करना चाहिए।" अतः जब राजनीतिक न्याय के सिद्धांत नैतिक-व्यावहारिक ज्ञान पर आधारित होंगे तो वे युद्ध रोकने में सहायता करेंगे क्योंकि युद्धों में दूसरों के साध्य के लिए मनुष्यों को साधन के रूप में बड़ी ही निर्दयता से प्रयोग किया जाता है। कांट कहता है कि नैतिक-व्यावहारिक ज्ञान का स्वायत्तता सिद्धांत "गणतंत्रात्मक" किस्म की सरकार का भी आह्वान करता है, जिसके अंतर्गत नागरिकों से संप्रभुओं के मात्र उपकरण के रूप में व्यवहार नहीं किया जाता।

कांट का तर्क है कि प्रबुद्ध और व्यावहारिक व्यक्ति यह जानता है कि युद्ध का कहर उन पर ही गिरेगा, न कि उनके शासकों (जिन्हें वास्तव में विवादों और युद्धों से लाभ प्राप्त होने की ही संभावना रहती है) पर। उसका मानना है कि सभी देशों के सभी नागिरकों का अंतर्राष्ट्रीय शांति में एकसमान हित है, जबकि सत्तारूढ़ स्व-हित गुटों अथवा शासकों का हित अंतर्राष्ट्रीय विवादों और युद्धों में होता है। इसलिए कांट के विचार में सरकारों का लोकतंत्रीकरण अथवा गणतंत्रीकरण, अंतर्राष्ट्रीय शांति में सहयोग कर सकता है। युद्ध, सामान्य नागरिकों के लिए उनके शासकों से अधिक खतरे और कष्ट लाते हैं। इसलिए गणतंत्रात्मक/लोकतंत्रात्मक सरकारों के लिए युद्ध के बारे में निर्णय लेना काफी कठिन होगा।

अपने आलेख "पर्पैक्चुअल पीस" (Perpetual Peace) (1975) में कांट लिखता है कि स्थायी

सहमत होना चाहिए। जैसे कि - (i) राज्यों को गणतंत्रात्मक संविधान अपनाने चाहिए, (ii) गणतंत्रात्मक राज्यों को युद्धों को रोकने के लिए "प्रशांत संघ" अथवा परिसंघ की स्थापना करनी चाहिए, (iii) विदेशियों के प्रति "सार्वभौम अतिथि-सत्कार" (universal hospitality) और विदेशी आक्रमण तथा लूटपाट रोकना सुनिश्चित करने के लिए "प्रशांत संघ" को सर्वदेशीय कानून बनाने चाहिए तथा उनका उपयोग करना चाहिए।

10.9 समाहार

कांट के नैतिक और राजनीतिक दर्शन ने बाद के कई विचारकों और विशेष रूप से हीगल और जरगन हेबरमास (Jurgen Habermas) तथा जॉन राल्स (John Rawls) जैसे वर्तमान राजनीतिक दार्शनिकों के लिए प्रेरणा-स्रोत या परिवर्तन-बिंदु का काम किया। उन्होंने मानव ज्ञान और नैतिक व्यक्तित्व संबंधी कांट की शिक्षाओं, नैतिकता और न्याय के सिद्धांतों तथा राजनीतिक संस्थाओं के स्वरूप (राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, दोनों स्तरों पर) जो उन सिद्धांतों द्वारा बनी रहती हैं और उन्हें बनाए रखती हैं, से प्रेरणा ली या विरोध किया। नैतिकता और सामाजिक समझौते पर कांट के विचारों ने राल्स के न्याय के सिद्धांत को प्रभावित किया। हेबरमास के "नीतिशास्त्र विवेचन" (discourse ethics) पर कांट के नैतिकता के सिद्धांतों की सार्वभौमिकता के विचार का स्पष्ट रूप से प्रभाव देखा जा सकता है।

हीगल (जोकि कांट की मृत्यु के समय 34 वर्ष का था) ने कांट के अनुभवातीत-आदर्शवादी दर्शन को स्वीकार किया और उसके कथित अमूर्त सार्वभौमवाद (abstract universalism) तथा रिक्त रूपवाद/आकारवाद (empty formalism) में सुधार कर उसमें आमूल-चूल परिवर्तन किया। मानव भावनाओं, इच्छाओं, प्रेरणाओं आदि का सम्मान न करने के कारण कांट के नैतिक सिद्धांतों के निर्माण का हीगल ने विरोध किया है। हीगल अनुभव करता है कि कांटवादी नैतिक कर्ता (moral agent) इस दुनिया में कार्यकर्ताओं या अभिनेताओं के रूप में दुखी और अक्षम रहेगा। हीगल ने नैतिकता के अमूर्त सार्वभौम विचार के संभावित खतरों (उदाहरण के लिए, फ्रांसीसी क्रांति का क्रांतिकारी आतंक) को भी देखा। वास्तव में हीगल ने 1795 में लिखा था - "कांटवादी व्यवस्था और इसकी उच्चतम पूर्णता से मैं जर्मनी में क्रांति की उम्मीद करता हूँ।" हीगल की आलोचना, कांट के नैतिक और राजनीतिक दर्शन के आदर्शमूलक-आलोचनात्मक स्वरूप की सराहना नहीं कर पाई। उसने एक नैतिक कर्ता के रूप में मनुष्य की स्वयं में एक साध्य की प्रकृति पर बल दिया। किंतु इसे क्रांतिकारी आतंक को किसी प्रकार का औचित्य प्रदान करना नहीं माना जा सकता। कांट का राजनीतिक दर्शन एक विशेष प्रकार का उदारवाद प्रस्तुत करता है। यह उदारवाद शांति-आधारित, सर्वदेशीय राजनीतिक नैतिकता पर बल देता है जो राष्ट्रों-राज्यों की सीमाओं के अंदर और बाहर, दोनों में सभी मनुष्यों की एक-दूसरे के प्रति नैतिक स्वायत्तता और (सार्वभौम) नैतिक बाध्यता के विचार पर केंद्रित है। यह अधिकारों पर आधारित व्यक्तिवादी और उपयोगितावादी किस्म के उदारवाद से भिन्न है। कांट के नैतिक और राजनीतिक दर्शन में नैतिक बाध्यताओं और कर्तव्यों पर दिए गए इस बल को, सर्वाधिकारवाद अथवा कट्टरवाद को, किसी

तरह का औचित्य प्रदान करना नहीं माना जाना चाहिए। कांट इस बात से भली-भाँति अवगत था कि समाज का संपन्न वर्ग, उन्हें गरीबों के प्रति नैतिकता और न्याय अथवा औचित्य की बाध्यता के अंतर्गत रखे जाने वाले किसी सिद्धांत की बजाय, दान और दयालुता के विचार से सामान्यतः "अधिक प्रसन्न" होगा।

10.10 साराश

इमेनुअल कांट भी रूसो, ह्यूम और एडम स्मिथ के समय का एक जर्मन दार्शनिक था। उसका मुख्य संबंध नैतिकता और न्याय या औचित्य के आवश्यक सार्वभौम और आलोचनात्मक-व्यावहारिक सिद्धांतों से था। मानव ज्ञान और नैतिकता के स्रोत अथवा केंद्र में चर्च, निरंकुश शासकों, रीति-रिवाजों और परंपराओं के अधिकार के स्थान पर "मानव प्रकृति" अथवा "मानव ज्ञान" को रखने के बारे में वह प्रबोधन के व्यवहारवादी और अनुभववादी विचारकों से सहमत था। उसने मानव ज्ञान के अपने अनुभवातीत-आदर्शवादी विचार और इसके न्याय तथा नैतिकता के सिद्धांतों द्वारा अनुभववादी और व्यवहारवादी, दोनों की कमियाँ दूर करने का प्रयास किया। कांट के अनुसार नैतिक विधि का मूल विचार इसकी सार्वभौमिकता है जो नैतिक कर्ता के रूप में सभी मनुष्यों की स्वतंत्रता अथवा स्वायत्तता और एकता तथा अन्य नैतिक कर्ताओं की स्वायत्तता के प्रति बाध्यता के आदर्श विचार को लागू करती है। हमारे कार्य के सिद्धांतों की नैतिकता जाँचने के लिए कांट कई सूत्र प्रदान करता है जिन्हें वह शुद्ध व्यावहारिक ज्ञान के "निरपेक्ष आदेश" कहता है। ये सूत्र किसी विशेष नैतिक कर्ता या समुदाय पर बाध्यकारी नहीं हैं। हमारे बाहरी कार्यक्षेत्र पर लागू होने वाले नैतिक-व्यावहारिक ज्ञान के निरपेक्ष आदेश में बाहरी कार्य की स्वतंत्रता को बाकी सभी की बाहरी कार्य की स्वतंत्रता के अनुरूप बनाने के लिए औचित्य/न्याय का सिद्धांत या कानून निहित होता है। यह कानून संपत्ति पर भी लागू होता है। संपत्ति के किसी भी मूल विनियोजन की नैतिक वैधता तब तक अस्थायी रहती है जब तक कि इससे प्रभावित होने वाले सभी लोगों के सार्वभौमिक समझौते द्वारा इसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता। सार्वभौम औचित्य अथवा न्याय की इस आदर्शवादी आवश्यकता के अनुभव के कारण ही कांट ने विश्व स्तर पर राज्य की "सामाजिक समझौता अवधारणा" और राज्यों के "प्रशांत संघ" की अपनी अवधारणा प्रस्तुत की। कांट के दर्शन की वैश्विकता और अंतर्राष्ट्रीयता काफी भिन्न है। वह राजनीतिक दर्शन को राज्यों की सीमाओं से बाहर ले गया और उसने घरेलू राजनीति को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से अलग भी नहीं किया (हालाँकि उसने इनमें अंतर की बात स्वीकार की)। उसके विचार में लोकतंत्रीकरण और गणतंत्रवाद, अंतर्राष्ट्रीय शांति में योगदान देते हैं।

10.11 अभ्यास

1. "नैतिकता को श्रद्धांजलि देने से पहले एक सच्ची राजनीतिक व्यवस्था.....एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकती।" नैतिकता पर इमेनुअल कांट के राजनीतिक विचारों की चर्चा कीजिए।
2. कांट के "निरपेक्ष आदेश" (Categorical Imperative) के विचार को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए।
3. इमेनुअल कांट का राजनीतिक दर्शन किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप वाला है?